UPM0280024682026

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सर्वेश कुमार मिश्र, उ0प्र0 न्यायिक सेवा–यू0पी0 2073

प्रार्थना पत्र संख्या –256/2026

राज्य प्रति मुकुल कुमार।
अ०सं0 268/2026
थाना आर.पी.एफ पोस्ट गजरौला।
धारा –160(2) रेल अधिनियम।

दिनांकः 09.06.2026

प्रार्थना पत्र भूपेन्द्र सिंह की ओर से थाना आर.पी.एफ पोस्ट गजरौला के कब्जे में निरुद्ध वाहन मैजिक CHASIS NO. MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035 को अपने पक्ष में निर्मुक्त किए जाने की याचना के साथ प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त वाहन आर.पी.एफ. पोस्ट गजरौला के कब्जे में निरुद्ध है। प्रार्थी उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। उक्त वाहन के थाने में निरुद्ध होने से उसके खुर्द बुर्द अथवा क्षय होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन को प्रार्थी के पक्ष में अवमुक्त करने हेतु आदेश पारित करने की कृपा करें।

थाने से प्राप्त आख्यानुसार वाहन संख्या **मैजिक CHASIS NO. MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035 बिना नंबर प्लेट** आर.पी.एफ पोस्ट गजरौला के कब्जे में निरुद्ध है। उक्त वाहन की तकनीकि रिपोर्ट थानाख्या के साथ संलग्न है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सुना व प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी की ओर से वाहन वाहन **मैजिक CHASIS NO. MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035** के संबंध में टैक्स इन्व्यास, बीमा व स्वयं के आधारकार्ड की छायाप्रति तथा मूल अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त वाहन के टैक्स इन्व्यास के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन का स्वामी है। उपरोक्त वाहन मैजिक CHASIS NO. MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035 की रिलीज के संबंध में कोई भी प्रार्थना पत्र प्रार्थी के अलावा किसी अन्य दावेदार द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य भी संज्ञान में नहीं लाया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि उपरोक्त वाहन को अवमुक्त करने से प्रस्तुत मामले की विवेचना में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रभावित अथवा नष्ट होगा। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दर भाई अंबालाल देसाई बनाम सरकार गुजरात ए.सी.सी 2003 (ए.सी. पेज संख्या–223)** में पारित दिशा निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायोचित प्रतीत होता है कि उपरोक्त वाहन मैजिक CHASIS NO.

MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035 को दौराने मुकदमा प्रार्थी के पक्ष में सशर्त सुपुर्द किया जाए।

आदेश

1– यह कि प्रार्थी अंकन 700000 /–रुपए की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करेगा।

2– यह कि प्रार्थी अण्डरटेकिंग भी इस आशय की दाखिल करेगा कि दौरान विचारण वाद, वह उक्त प्रश्नगत वाहन को न्यायालय की अनुमति के बिना किसी को भी विक्रय अथवा हस्तान्तरण नहीं करेगा और न ही वह उसके मूल रंग व स्वरूप में कोई परिवर्तन या परिवर्धन करेगा और जब जब न्यायालय अथवा विवेचक उसको तलब करेगा, आवेदक उसे अपने खर्चे पर अविलम्ब न्यायालय में पेश करेगा।

3–विवेचक को यह भी आदेशित किया जाता है कि वह वाहन से संबंधित समस्त प्रपत्रों की तीन–तीन प्रतियां पत्रावली पर रखे तथा विभिन्न कोणों से वाहन (वाहन की स्पष्ट पहचान हेतु) रंगीन फोटोग्राफी कराएंगे तथा उक्त फोटोग्राफ को सत्यापित कर सी0 डी0 का भाग बनाए।

4–यह कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन के प्रस्तुत कागजात की सत्यापित प्रतियां दाखिल करेगा।

5– यह कि प्रार्थी उपरोक्त वाहन से संबंधित रजि0 प्रमाण पत्र 30 दिन के भीतर न्यायालय में दाखिल करेगा अन्यथा की दशा में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

संबंधित थानाध्यक्ष उक्त वाहन मैजिक CHASIS NO. MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035 का सत्यापन संबंधित आर.टी.ओ से कराने के पश्चात ही अगर उक्त वाहन मैजिक CHASIS NO. MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035 किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो उपरोक्त वाहन मैजिक CHASIS NO. MD9EMVDI226E217463, इंजन संख्या TZ160X15H96202604090035 को प्रार्थी भूपेन्द्र सिंह की सुपुर्दगी में सशर्त अवमुक्त करें।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

आशुलिपिकः हरगोविन्द सिंह।
हस्ताक्षर